

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



**ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ**  
**Punjab & Sind Bank**  
**ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ**

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਸਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ  
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,  
21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲਲੀ-110008  
**H.O. Account & Audit Department**  
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor  
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਸ਼/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated: .....

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2018-19

February 18, 2019

To,

**Bombay Stock Exchange Limited,**  
**Department of Corporate Services,**  
25<sup>th</sup> floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400 001.

**SCRIP ID : PSB**

**SCRIP CODE : 533295**

**National Stock Exchange of India Ltd.,**  
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai – 400 051.

**SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

**Reg: Update: Extraordinary General Meeting on 15<sup>th</sup> March 2019**

We are forwarding a copy of Notice for Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on Friday, 15<sup>th</sup> March 2019 at 10.30 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]  
Company Secretary

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਏਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  
Punjab & Sind Bank  
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਏਸ.ਬੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ / A Govt. of India Undertaking)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਾਲਯ: 21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-110008

Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

## ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨਯ ਬੈਠਕ Extraordinary General Meeting

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2019, ਪ੍ਰਾਤ: 10:30 ਬਜੇ

Friday, 15 March 2019, 10.30 A.M

ਸਥਾਨ:

ਪੰਜਾਬ ਏਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  
ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਾਲੇਜ  
ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-3  
ਸੈਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ  
ਦਿਲੀ-110085

Venue:

Punjab & Sind Bank  
Staff Training College  
Institutional Area, Plot No.3  
Sector 3, Rohini,  
Delhi – 110085

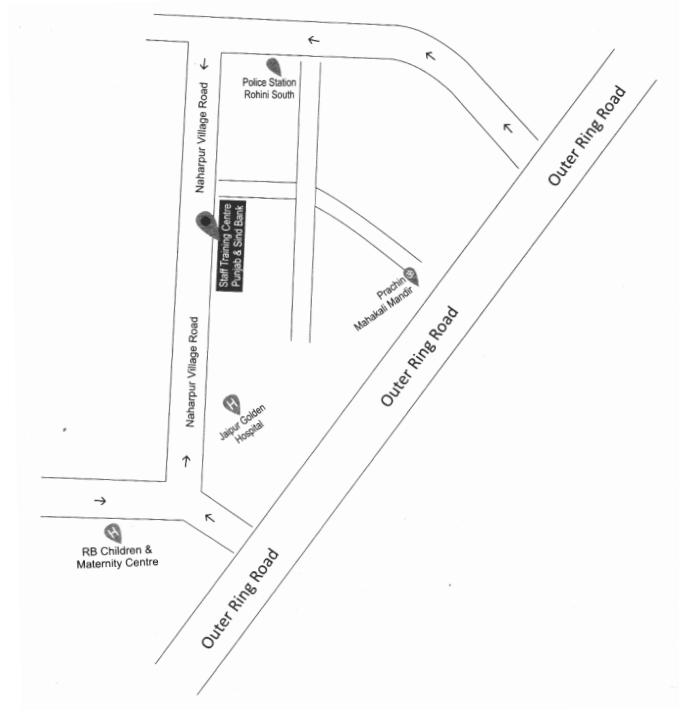
ਜਹਾँ सेवा ही जीवन-ध्येय है / Where Service is a Way of Life

# विषय सूची CONTENTS

| क्रम सं.<br>S. No. | विषय<br>Subject                                                  | पृष्ठ सं.<br>Page No. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                 | सूचना<br>NOTICE                                                  | 3<br>11               |
| 2.                 | टिप्पणियां<br>NOTES                                              | 4<br>12               |
| 3.                 | व्याख्यात्मक विवरणी<br>EXPLANATORY STATEMENT                     | 4<br>12               |
| 4.                 | प्रॉक्सी फॉर्म<br>PROXY FORM                                     | 9<br>15               |
| 5.                 | उपस्थिति पर्ची सहित प्रवेश पास<br>ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS | 10<br>16              |

## PUNJAB & SIND BANK

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,  
Plot No.3, Institutional Area, Sector-3, Near Jaipur Golden Hospital,  
Rohini, Delhi-1100 085



**ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਾਲਯ: 21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲਲੀ – 110008**

**Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008**

#### ਸੂਚਨਾ

ਐਤਦੁ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕੋਂ ਕੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਾਲਿਜ਼, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੋਵ, ਪਲਾਟ ਸੰਖਯਾ 3, ਸੈਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿਲਲੀ-110085 ਮੇਂ ਸ਼ੁਕੁਰਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2019 ਕੋ ਪ੍ਰਾਤ: 10.30 ਬਜੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹੇਤੁ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਗੀ:

#### **ਮਦ ਸੰਖਯਾ 1**

**ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕੋਂ ਆਰ ਕਾਮਿਕੋਂ ਕੋ ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਧਾਰ ਪਰ ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਕਾਮਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰਯ ਯੋਜਨਾ)**

ਕਾਮਿਕੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕ ਅੰਕਿਤ ਮੂਲ੍ਯ ਰੁ. 10/- (ਕੇਵਲ ਦਸ ਰੁਪਏ) ਦੇ 5,00,00,000 (ਪਾਚ ਕਰੋਡ਼) ਨਏ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਜਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਨਿਰਮ ਆਰ ਆਰਟਿਟ ਕਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰੋਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪ, ਸਬੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਨੋਂ ਤਥਾ ਸਬੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਜਿਸਮੇਂ ਲਾਮਾਂਸ਼ ਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ, ਕਾਮਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ (ਇਸਕੇ ਬਾਦ “ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.” ਸੰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਗੀ) ਏਕ ਯਾ ਅਧਿਕ ਕਿਸਤੋਂ ਮੇਂ, ਏਸੇ ਮੂਲ੍ਯ ਯਾ ਮੂਲ੍ਯੋਂ ਪਰ, ਏਸੇ ਨਿਯਮੋਂ ਏਵਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਬੋਰਡ/ਸਮਿਤਿ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਆਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੇਤੁ ਯਦਿ ਵਹ ਉਚਿਤ ਸਮਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਥਵਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ(ਓ) ਦੇ ਸਾਥ ਨਿਯਮ ਕੋ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਨ੍ਯ(ਓ) ਦੇ ਸਾਥ ਪਾਸ ਕਰੇਂ

“ਸੰਕਲ੍ਪ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯਕੁਤ ਬੈਂਕ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਵਂ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਯੋਜਨਾ 1980 (“ਯੋਜਨਾ”) ਤਥਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (ਸ਼ੇਅਰ ਏਵਂ ਬੈਠਕੇ) ਵਿਨਿਯਮ, 2008 (“ਵਿਨਿਯਮਨ”) ਦੇ ਸਾਥ ਪਠਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਉਪਕ੍ਰਮੋਂ ਕਾ ਅਰਜਨ ਏਵਂ ਅੰਤਰਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1980 (“ਅਧਿਨਿਯਮ”) ਸਮਯ-ਸਮਯ ਪਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਮੇਂ ਤਥਾ ਯਦਿ ਆਵਸ਼ਯਕ ਹੁਆ ਤੋ ਭਾਰਤੀਯ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ(ਭਾ.ਸ.), ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤਿ ਏਵਂ ਵਿਨਿਯਮ ਬੋਰਡ (ਸੇਵੀ), ਸਟਾੱਕ ਏਕਸਚੇਂਜੋਂ ਜਿਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀਬਫ਼ਤ ਹੈਂ, ਕਾ ਯਦਿ ਕੋਈ ਅਨੁਮੋਦਨ, ਸਹਮਤਿ, ਅਨੁਮਤਿ ਆਰ ਸਵੀਕ੍ਰੁਤਿ ਹੋ ਆਰ ਜਹਾੰ ਭੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਤਥਾ/ਅਥਵਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਅਪੇਖਿਤ ਕਿਸੀ ਅਨ੍ਯ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ, ਸਵੀਕ੍ਰੁਤਿ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਹੋ ਆਰ ਉਕਤ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਏਸੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮੋਂ, ਸ਼ਰਤੋਂ ਆਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨੋਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰ ਜਿਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਘਡਲ ਕੀ ਸਹਮਤਿ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਏਵਂ ਸੇਵੀ ਵਿਨਿਯਮਨ, 2014 ਆਧਾਰਿਤ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨੋਂ, ਅਢਤਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਤੇ ਹੁਏ, ਭਾਰਤੀਯ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੇਵੀ ਆਰ ਅਨ੍ਯ ਸਬੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਧਿਸੂਚਨਾਏਂ/ਪਰਿਪਤ੍ਰੋਂ ਯਦਿ ਕੋਈ ਹੋ ਤੋ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1949 ਆਰ ਭਾਰਤੀਯ ਵਿਨਿਯਮਨ ਬੋਰਡ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਤਥਾ ਸਮਯ-ਸਮਯ ਪਰ ਲਾਗੂ ਅਨ੍ਯ ਸਬੀ ਨਿਯਮੋਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨੋਂ (ਸੂਚੀਯਨ ਦਾਯਿਤ੍ਵ ਏਵਂ ਪ੍ਰਕਟਨ ਅਨਿਵਾਰਤਾਏਂ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2015 (ਸੇਵੀ ਏਲਓਡੀਆਰ) ਕੋ ਅਢਤਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਤੇ ਹੁਏ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾੱਕ ਏਕਸਚੇਂਜੋਂ ਯਥਾ ਵੀਐਸਏ ਲਿ (ਵੀਐਸਏ) ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾੱਕ ਏਕਸਚੇਂਜ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿ.(ਏਨਏਸਏ ਲਿ.) ਦੇ ਸਾਥ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਕਰੂਪ ਸੂਚੀਬਫ਼ਤ ਸਮਜ਼ਤੀ ਕੀਆ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਭੀ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੇ ਕਿਸੀ ਭੀ ਸੁਤਰ ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਜ੍ਯ ਅਨੁਮੋਦਨ, ਅਨੁਮਤਿ ਆਰ ਸਵੀਕ੍ਰੁਤਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਥਾ ਏਸੇ ਅਨੁਮੋਦਨ, ਅਨੁਮਤਿ ਆਰ ਸਵੀਕ੍ਰੁਤਿ ਕੋ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਨੇ ਦੇ ਦੁਰਾਨ ਇਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯਾ ਲਾਗੂ ਕੀ ਗਈ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ਰਤ ਆਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਥਾ ਜਿਸਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਘਡਲ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਮਤਿ ਦੀ ਗਈ ਆਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਆ ਗਯਾ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕੋਂ ਕੀ ਸਹਮਤਿ ਤਥਾ ਐਤਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜਿਸੇ ਇਸਕੇ ਬਾਦ ਇਸ ਸੰਕਲ੍ਪ ਮੇਂ “ਬੋਰਡ” ਕਹਾ ਗਯਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਯਹ ਮਾਨਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸਮੇਂ ਏਸੀ ਕੋਈ ਸਮਿਤਿ ਭੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਲ੍ਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਤ ਸ਼ਕਤਿਯੋਂ ਸਹਿਤ ਉਸਕੀ ਸ਼ਕਤਿਯੋਂ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਿਏ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀ ਗਈ ਹੋ ਵ ਗਠਿਤ ਕੀ ਜਾਨੀ ਹੋ) ਕੋ ਸਹਮਤਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਯਾ ਅਧਿਕ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਮੇਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਬੋਰਡ/ਸਮਿਤਿ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਆਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੇਤੁ ਯਦਿ ਵਹ ਉਚਿਤ ਸਮਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਮੂਲ੍ਯ ਯਾ ਮੂਲ੍ਯੋਂ ਪਰ, ਏਸੇ ਨਿਯਮੋਂ ਏਵਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਪਰ, ਨਿਰਨ੍ਯ ਲਿਯਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਏਵਂ ਸੁਖ੍ਯ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਰ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ(ਓ) (ਕਾਮਿਕੋਂ) ਕੋ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕ ਅੰਕਿਤ ਮੂਲ੍ਯ ਰੁ. 10/- (ਕੇਵਲ ਦਸ ਰੁਪਏ) ਦੇ 5,00,00,000 (ਪਾੱਚ ਕਰੋਡ਼) ਨਏ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਜਨ ਕਰ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਨਿਰਮ ਆਰ ਆਰਟਿਟ ਕਰੇਂਗੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰੋਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪ, ਸਬੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਨੋਂ ਤਥਾ ਸਬੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਜਿਸਮੇਂ ਲਾਮਾਂਸ਼ ਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ, ਕਾਮਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ (ਇਸਕੇ ਬਾਦ “ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.” ਸੰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਗੀ), ਜੋ ਇਨ ਸ਼ਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਿਤਾ 51.00%ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ।

“ਯਹ ਭੀ ਸੰਕਲ੍ਪ ਲਿਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸੇਵੀ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਨ 15 ਯਾ ਕੋਈ ਸਾਂਵਿਧਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ(ਓ), ਪਰਿਸ਼ੋਧਨ(ਓ),ਅਥਵਾ ਉਨਕੋ ਪੁਨਰ੍ਯੋਗ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾ ਨੀਤਿਯੋਂ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇਗਾ।”

“ਯਹ ਭੀ ਸੰਕਲ੍ਪ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋ “ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.” ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਰੀ ਆਰ ਆਰਟਿਟ ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰੋਂ ਕੋ ਸਟਾੱਕ ਏਕਸਚੇਂਜੋਂ ਜਹਾੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀਬਫ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾੱਕ ਏਕਸਚੇਂਜੋਂ ਦੇ ਸਾਥ ਕ੍ਰਿਏ ਗਏ ਸਮਰੂਪ ਸੂਚੀਬਫ਼ਤਾ ਸਮਜ਼ਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮੋਂ ਏਵਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਤਥਾ ਅਨ੍ਯ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਯਮੋਂ ਤਥਾ ਅਧਿਨਿਯਮੋਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਚੀਬਫ਼ਤ ਕਰਾਨੇ ਹੇਤੁ ਆਵਸ਼ਯਕ ਕਦਮ ਉਠਾਨੇ ਦੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰਾਧਿਕ੍ਰੁਤ ਕੀਆ ਜਾਏ।”

“ਯਹ ਭੀ ਸੰਕਲ੍ਪ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸੰਕਲ੍ਪ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਨੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼੍ਯ ਸੇ “ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.” ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰੋਂ ਦੇ ਨਿਰਮ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਅਪਨੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਸ਼ਯਕ, ਉਚਿਤ ਏਵਂ ਬਾਂਡਨੀਯ ਮਾਨੇ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਬੀ ਕੁਤ੍ਯੋਂ, ਕਰਮੋਂ, ਮਾਮਲੋਂ ਆਰ ਵਾਤੋਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤਥਾ ਸਮਯ-ਸਮਯ ਪਰ “ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.” ਮੇਂ ਉਤਪਨ ਹੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਭੀ ਪ੍ਰਸ਼, ਦੁਵਿਧਾ ਯਾ ਸੰਦੇਹ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨੇ ਤਥਾ ਅਨ੍ਯ ਸਬੀ ਆਵਸ਼ਯਕ, ਉਚਿਤ ਆਰ ਸਮੀਚੀਨ ਕੁਤ੍ਯ, ਕਰਮ, ਮਾਮਲੋਂ ਏਵਂ ਵਾਤੋਂ ਕੋ ਕਰਨੇ ਏਵਂ ਅਪਨੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.” ਪਰ ਆਵਸ਼ਯਕ, ਉਚਿਤ ਆਰ ਆਵਸ਼ਯਕ ਸਮਜ਼ੇ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਬੀ ਦਸਤਾਵੇਜੋਂ ਵ ਲੇਖੋਂ ਕੋ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਨੇ ਤਥਾ “ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.” ਕੋ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨੇ ਹੇਤੁ ਅਧਿਕ੍ਰੁਤ ਹੋਗਾ ਆਰ ਇਸਕੋ ਐਤਦੁ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ੍ਰੁਤ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, (ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.-ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਲਿਏ ਉਨਕੋ ਆਗੇ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕੋਂ ਕੀ ਸਹਮਤਿ, ਯਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਅਥਵਾ ਅਨ੍ਯਥਾ ਕੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਆਰ ਇਸ ਸੰਕਲ੍ਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਕੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼੍ਯ ਏਵਂ ਆਸ਼੍ਯ ਸੇ ਅਧਿਕ੍ਰੁਤ ਕੀਆ ਗਯਾ ਹੈ ਤਥਾ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ: ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਆ ਗਯਾ ਮਾਨਾ ਜਾਏਗਾ।”

“ਯਹ ਭੀ ਸੰਕਲ੍ਪ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ (ਓ)ਕੋ ਐਤਦੁ ਦੁਆਰਾ ਯਹ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ ਦਿਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲ੍ਪ ਮੇਂ ਪ੍ਰਦਤ ਸਬੀ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਏਕ ਸ਼ਕਤਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਏਵਂ ਸੁਖ੍ਯ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏਮਡੀ ਏਵਂ ਸੀਡੀਓ) ਯਾ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ(ਓ) ਅਥਵਾ ਅਨ੍ਯ ਅਧਿਕਾਰੀ(ਅਧਿਕਾਰਿਯੋਂ) ਕੋ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਿਏ ਅਧਿਕ੍ਰੁਤ ਹੋਗਾ ਜੋ ਸੇਵੀ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ) ਅਧਿਨਿਯਮੋਂ, 2014 ਆਰ ਅਨ੍ਯ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੋਂ, ਨਿਯਮੋਂ ਤਥਾ ਅਧਿਨਿਯਮੋਂ ਦੇ ਸਾਥ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵੋਂ ਕੋ ਲਾਗੂ ਕਰੇਂ।

#### **ਮਦ ਸੰਖਯਾ 2**

**ਅਹੁਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ**

ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕ ਅੰਕਿਤ ਮੂਲ੍ਯ ਰੁ. 10/- (ਕੇਵਲ ਦਸ ਰੁਪਏ) ਦੇ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (ਪਾਚ ਸੌ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨਏ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਜਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਨਿਰਮ ਆਰ ਆਰਟਿਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕੋਂ ਕਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਈਕੁਟੀ ਸ਼ੇਅਰੋਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪ, ਸਬੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਨੋਂ ਤਥਾ ਸਬੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਜਿਸਮੇਂ ਲਾਮਾਂਸ਼ ਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ, ਅਹੁਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਦੇ ਮਾਧ੍ਯਮ ਸੇ ਏਕ ਯਾ ਅਧਿਕ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਮੇਂ, ਏਸੇ ਮੂਲ੍ਯ ਯਾ ਮੂਲ੍ਯੋਂ ਪਰ, ਏਸੇ ਨਿਯਮੋਂ ਏਵਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਬੋਰਡ/ਸਮਿਤਿ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਆਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੇਤੁ ਯਦਿ ਵਹ ਉਚਿਤ ਸਮਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਥਵਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ(ਓ) ਦੇ ਸਾਥ ਨਿਯਮ ਕੋ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਨ੍ਯ(ਓ) ਦੇ ਰੂਪ ਮੇ:

“ਸੰਕਲ੍ਪ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ(ਉਪਕ੍ਰਮੋਂ ਕਾ ਅਰਜਨ ਆਰ ਅੰਤਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ 1980 (ਇਸਕੇ ਬਾਦ “ਅਧਿਨਿਯਮ ਸੰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ”) ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1949 (“ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਨਿਯਮ” ਸੰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ) ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (ਸ਼ੇਅਰ ਏਵਂ ਬੈਠਕੇ) ਅਧਿਨਿਯਮ 2008 (“ਅਧਿਨਿਯਮ” ਸੰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗੇ), ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤਿ ਵਿਨਿਯਮ ਬੋਰਡ (ਪ੍ਰੰਜੀ ਨਿਰਮ ਏਵਂ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰਣ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾਏਂ) ਵਿਨਿਯਮ 2009 (“ਸੇਵੀ”) (“ਆਈਸੀਡੀਆਰ ਵਿਨਿਯਮਨ”) ਵਿਨਿਯਮਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮੋਂ, ਵਿਨਿਯਮੋਂ, ਮਾਰ੍ਗਦਰਸ਼ੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ, ਪਰਿਪਤ੍ਰੋਂ,



स्पष्टीकरणों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (भारि.बैं.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बशर्ते विधि, नियम और विनियम के अध्यक्षीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुनः लागू अधिनियम), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में सूचीयन करार जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सेबी(सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन , सहमति, अनुमति या संस्वीकृति प्रदान करते समय उनके द्वारा शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदनों, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति के लिए लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत होना (इसके बाद इसे बोर्ड को कहा जाएगा इस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल है) तथा समय-समय पर लागू अन्य सभी नियमों के अधीन सेबी के प्रावधानों (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्य) अधिनियम, 2015 को अद्यतन संशोधित करते हुए, के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों यथा बीएसई लि. और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ बैंक ने एकरूप सूचीबद्ध समझौता किया है। किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर प्रयोज्य अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति को मंजूरी देने के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या लागू की गई कोई भी शर्त और परिवर्तन के अंतर्गत तथा जिसको बैंक के निदेशक मण्डल ने द्वारा सहमति दी गई और स्वीकार किया गया हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति तथा एतद्वारा बैंक के बोर्ड के निदेशक (जिसे इसके बाद इस संकल्प में "बोर्ड" कहा गया है जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई हो व गठित की जानी हो) को सहमति प्रदान की जाती है। बैंक की सहमति है और एतद्वारा बोर्ड को दी जाती है कि वह आईसीडीआर वी नियावली के अध्याय VI के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्य से बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन ऑफर, निर्गम, आबंटन करें। भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम जैसाकि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनियम के अनुसार अपने विवेकाधिकार से रु 500 (पाँच सौ करोड़ मात्र )से अधिक कुल राशि जो अनुमत की है जो ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे ढंग से तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिसे बोर्ड अपने स्वविवेकाधिकार से निर्धारित करें जिसमें यह विवेकाधिकार भी शामिल है, निदेशकों की उन श्रेणी का निर्धारण जिन्हें ऑफर निर्गम एवं आबंटन किया जाए। ऑफर के समय बाजार की स्थितियों और अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां अग्रणी प्रबंधक(कों) एवं/या हामीदार(रों) या अन्य सलाहकारों से परामर्श करके बोर्ड अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित अथवा उपयुक्त निर्णय ले सकेगा।

**आगे संकल्प किया गया** कि जारी किए गए इक्विटी शेयर , बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के बराबर के होंगे जिनमें लाभांश शामिल हैं"

**आगे संकल्प किया गया कि** आर्हताप्राप्त संस्थागत स्थगन के मामले में आई.सी.डी.आर विनियमावली के खंड VI के अनुसरण में :-

- A ) आई.सी.डी.आर विनियमावली के खंड VI के कई तहत प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्ण – प्रदत्त होनी चाहिए तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प कि तिथि से 12 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए।
- B) आई.सी.डी.आर विनियमावली के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम कीमत से अधिकतम पाँच प्रतिशत कि छूट पर शेयर ऑफर कर सकता है जैसा कि विनियमावली में निर्धारित किया गया है।
- C) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि आई.सी.डी.आर विनियमावली के अनुसार माना जाएगा।

**"आगे संकल्प किया गया है कि**, उक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एतद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करने , उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम , कृत्य , विषय और कार्य करें जो इसमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं है , साथ ही , अंतिम ऑफर प्रलेखों जो निर्गम के फार्म और शर्त को नियत करें , इसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें इक्विटी शेयर निर्गमित होंगे , आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह वर्ग शामिल है जिन्हें इक्विटी शेयर निर्गमित होंगे , आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से उचित समझे , अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्गम , ऑफर एवं आबंटन से उपजे सवाल , प्रक्रियाओं , कठिनाईओं से संबंधित प्रश्नों का अपने विवेकाधिकार से समाधान करें और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति अवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में: यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संबंध में सदस्यों की अनुमति है

**"आगे संकल्प किया गया कि**, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु लीड प्रबंधकों, विधि सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, सलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/नियुक्त करें, जो ऐसे इक्विटी शेयरों के ऑफर के कार्य से जुड़े हों, संबंध हों और उन्हें कमीशन, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक दें और ऐसी एजेंसियों के साथ करार, जापन, प्रलेखन आदि की व्यवस्था करें, निष्पादन कराएं और निर्गमित इक्विटी शेयरों की उन स्टॉक इक्सचेंजों में लिस्टिंग कराएं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यायुक्त करें या निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपें जो उक्त संविदा को प्रभावी बना सके और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, विषयों, मामलों को निष्पादित करे और कोई भी जरूरी परिवर्तन(नॉ) या संशोधन(नॉ) को करें जिसे उचित समझता है और ऐसा निर्देशन दें जो इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन से उठने वाले प्रश्नों और कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक हैं। साथ ही, ये शामिल हैं पर सीमित नहीं हैं:

- i. ड्राफ्ट/अंतिम ऑफर प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तियों को फाइल करना;
- ii. निर्गम मूल्य, आबंटन किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और इक्विटी शेयर के आबंटन का अनुमोदन;
- iii. इक्विटी शेयर के निर्गम के संबंध में जरूरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वांछनीय संविदाओं, करारों और अन्य प्रलेखों, विलेखों और लिखतों का निष्पादन;
- iv. ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के लिए आवश्यक हों;
- v. ऐसे सभी कार्य, कर्तव्य, विषय और मामलों को निष्पादित करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निपटान करना और अपने अनन्य विवेकाधिकार से संव्यवहार के लिए आवश्यक या अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना;
- vi. समुचित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जानेवाले सभी आवश्यक आवेदनों को तैयार करना और इस संबंध में आवश्यक विनियामक फाइलिंग करना;
- vii. उस स्टॉक एक्सचेंज(जों) में बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

कुले पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 14.02.2019

(एस. हरिशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

## टिप्पणियाँ:

### 1. व्याख्यात्मक स्थिति :

व्याख्यात्मक वक्तव्य बैठक के व्यवसाय के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है और उसे नोटिस का हिस्सा बनाया जाता है।

### 2. ईएसपीएस आधार पर कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करना (कर्मचारी शेयर खरीद योजना)

अपनत्व की भावना को बढ़ाने और बैंक के कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से, बैंक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बैंक के कार्यकारी निदेशकों सहित अपने कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है। जैसा कि सेबी विनियम, 2014 के विनियमन 2 (1) एफ सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। प्रस्तावित मुद्दा दीर्घकालिक संसाधनों की बढ़ती मांगों को पूरा भी करेगा और बेसल III की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करेगा।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 [सेबी (एसबीईबी)] की अनुपालना में बैंक ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक कर्मचारी शेयर खरीद योजना ("पीएसबी ईएसपीएस") नामक योजना बनाई है। इस योजना को बोर्ड की एक समिति द्वारा प्रशासित किया जाएगा और यह लागू कानूनों के अधीन होगी। दीर्घकालिक संसाधनों में वृद्धि करने के अतिरिक्त, इस मुद्दे का उद्देश्य निम्नानुसार है :

- बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदानों को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करना तथा बैंक के दीर्घकालिक हितों के साथ कर्मचारियों के हितों को एक साथ मिलाना, और
- कर्मचारियों के बीच अपनत्व और स्वामित्व की भावना को बढ़ाना , योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से पारी-पास रैंक होगी, जिसमें लाभान्श का भुगतान भी शामिल है, यदि कोई हो, बैंक द्वारा घोषित।

सेबी के विनियमन 41 (4) (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सेबी के विनियमन 6 ( शेयर आधारित कर्मचारी लाभ ) विनियम ,2014 की अनुपालना में बैंक कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर के निर्गमन और आवंटन हेतु विशेष समाधान का प्रस्ताव दे रहा है (जैसा कि सेबी ( शेयर आधारित कर्मचारी लाभ ) विनियमन 2(1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।)

सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/ सीएफडी/ पॉलिसी सेल / 2015 दिनांक 16 जून 2015 के अनुसार, इसमें उल्लेखित अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

#### A. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक ने 10 / - रुपये के मूल्य के 500 (पाँच सौ करोड़ रुपये ) नए इक्विटी शेयरों की पेशकश करने का प्रस्ताव किया है - बैंक के सभी कर्मचारियों को [जैसा कि सेबी के विनियमन 2 (1) (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ ) विनियमन, 2014] लागू कानूनों के अधीन पीएसबी- ईएसपीएस के तहत नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों, उचित प्रीमियम के साथ इस तरह से प्रस्ताव बनाने समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि भारत सरकार की होल्डिंग 52% से कम न हो।

#### B. जारी किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या :-

पीएसबी- ईएसपीएस के अंतर्गत कुल मिलाकर 5,00,00,000 (पाँच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों कर्मचारियों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है [ जैसा कि सेबी ( शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन (2014) ] के विनियमन 2 (1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

#### C. पीएसबी-ईएसपीएस में सहभागिता करने और लाभार्थी बनने के पात्र कर्मचारियों के वर्गों की पहचान :

बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी जिनमें बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक(ओं ) शामिल हैं [सेबी के शेयर 2 (1) (एफ) के तहत परिभाषित (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014]।

#### D. निहित करने की आवश्यकताएं और निहित करने की अवधि :

लागू नहीं।

#### E .वह अधिकतम अवधि ( सेबी (एसबीईबी) विनियम के नियम 18 (1) और 24 (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो ) जिसके भीतर विकल्प स्टॉक स्वीकृत अधिकार (एसएआर)/ लाभ दिए जाएंगे:

लागू नहीं।

#### F. एक्ससाईज़ मूल्य, एसएआर मूल्य, खरीद मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्र :

प्रस्ताव मूल्य / क्रय मूल्य प्रस्ताव देने के समय निदेशक मण्डल /मण्डल की समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र बैंक के कर्मचारियों को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों , उद तिथि जिस दिन मण्डल की समिति ने प्रस्ताव / क्रय मूल्य को निर्धारित किया है से पिछले दो सप्ताह की अवधि के दौरान उच्चतम ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए इक्विटी शेयर के परिणाम भारित औसत मूल्य (वीडबल्यूएपी) केई साप्ताहिक उच्च एवं न्यून के औसत के अधिकतम 25 % छूट पर दिए जाएंगे ।

किसी भी स्थिति में ईएसपीएस के तहत इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य अर्थात 10 रुपए प्रति शेयर से कम मूल्य पर आवंटित नहीं किया जाएगा।

अंतर्गत परिभाषित किया गया है) बोर्ड/ समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियम व शर्तों के आधार पर तय होगी।

#### G. एक्ससाईज़ अवधि और एक्ससाईज़ की प्रक्रिया :

बोर्ड/ समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान मामला खुला रहता है वह अवधि कार्य अवधि होगी। कार्य की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ- साथ, कर्मचारियों को प्रदान की गई पेशकश जैसा कि सेबी ( शेयर आधारित कर्मचारी लाभ विनियम 2014 ) के विनियमन 2(1) ) एफ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है । आवेदन और सदस्यता राशि की प्राप्ति तथा योजना के अनुसार शेयरों का आवंटन शामिल होगा।

#### H. प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों की योग्यता को निर्धारित करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया:

पेशकश करने की तिथि को पात्र कर्मचारी, लागू नियामक आवश्यकतओं और दिशानिर्देशों के अधीन भागीदारी करने के पात्र होंगे।

#### I. प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर जारी किए जा सकने वाले विकल्पों, एसएआर, शेयरों, की अधिकतम संख्या जैसा भी मामला हो:

योजना के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या बोर्ड/समिति द्वारा तय की जाएगी। बैंक कुल मिलाकर अधिकतम 5,00,00,000 (पांच करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है।

#### J. योजना के तहत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्रा:

योजना के तहत कर्मचारी को जारी इक्विटी शेयरों को अलावा, जैसा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 2(1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है) जैसा कि पैरा (आई) में दर्शाया गया है, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

#### K. योजना (ओं) को सीधे बैंक द्वारा लागू और प्रशासित किया जाएगा अथवा ट्रस्ट के माध्य से:

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा लागू तथा प्रशासित की जाएगी।

#### L. क्या योजना (ओं) के तहत कंपनी द्वारा नए शेयर जारी किए जाएंगे या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण रहेगा या दोनों:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे कर्मचारियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 2(1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है।

#### M. कंपनी द्वारा योजना (ओं) के कार्यान्वयन के लिए ऋण की राशि ट्रस्ट को, इसके कार्यकाल, उपयोगिता, पुनर्भुगतान शर्तों इत्यादि के लिए प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधे कर्मचारियों को जारी किए जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 2(1) एफ के तहत परिभाषित किया गया है और इस तरह, ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान किया जाना लागू नहीं है।

#### N. द्वितीयक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी नियमों के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन) जो योजना (ओं) के प्रयोजनों को लिए ट्रस्ट द्वारा बनाया जा सकता है:

लागू नहीं।

#### O. कंपनी सेल इस प्रभाव के लिए सेबी के नियम 15 (एसबीईबी) नियमों में निर्दिष्ट लेखा नीतियों का पालन करेगी:

बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।

#### P. विधि जो कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य ज्ञात करने के लिए उपयोग करेगी:

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है और इस प्रकार, विकल्पों या एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है।

#### Q. निम्न टिप्पणी, यदि लागू हो:

यदि बैंक अंतर्निहित मूल्य का उपयोग करके शेयर आधारित कर्मचारी लाभों का विस्तार करने का विकल्प चुनता है, तो कर्मचारी मुआवजे की लागत गणना और कर्मचारी मुआवजे की

लागत, जिसे मान्यता दी जाएगी, यदि इसमें उचित मूल्य का उपयोग किया गया हो, तो इनके बीच के अंतर का प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा साथ ही, लाभ और बैंक के प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर इस अंतर के प्रभाव का प्रकटीकरण भी निदेशक रिपोर्ट में किया जाएगा।

#### R. लॉक-इन अवधि:

वर्तमान ईएसपीएस के तहत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेबी(एसबीईबी) विनियम, 2014 के अनुसार आवंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष के लिए लॉक-इन रहेंगे।

निदेशक मंडल प्रस्तावित संकल्प के पारित होने की सिफारिश करता है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक(ओं) और बैंक के अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) उपरोक्त प्रस्तावों से संबंध या उसमें रुचि रखते हैं क्योंकि यह उनके लाभ के लिए है। अन्य निदेशकों का संकल्प से संबंध या उसमें रुचि नहीं है।

#### 3. योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

- निरंतर बदलते हुए कारोबार परिदृश्य में बढ़ते हुए कारोबार स्तर के समर्थन के साथ-साथ बासेल-III मानदंडों का अनुपालन करने हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की तत्काल आवश्यकता है।
- बासेल-III पूंजी विनियम और परिणामी पूंजी प्रभार के संदर्भ में पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और बोर्ड द्वारा तय किए गए सामान्य उधार उद्देश्यों के लिए, बैंक की पूंजी की पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव है।
- इक्विटी शेयर जारी करने से संबंधित सूचना में विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2009 ("आई सी आर विनियम") के अध्याय VI के अंतर्गत रु 500 करोड़ (पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक के अहर्ताप्राप्त संस्थागत सहित, के लिए दिया गया है।
- चूँकि, बैंक के इक्विटी शेयर को सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि किसी भी आगे की प्रतिभूति के ईश्यू को शेयरधारकों से अनुमोदित करवा लिया जाए यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें प्रस्तावित न किया गया हो।
- यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अहर्ताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) के माध्यम से जारी इक्विटी शेयर सांविधिक, विनियामक या इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।
- इक्विटी शेयर को जारी करने के विस्तृत नियम एवं शर्तें वर्तमान बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जो बैंक द्वारा विचारणीय हों, के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इक्विटी शेयर एक से अधिक भाग में, उपयुक्त समय या समयों पर, उपयुक्त मूल्य या मूल्यों पर और उपयुक्त निवेशकर्ता को जारी करने हेतु बोर्ड के विवेकानुसार से जो उपयुक्त हो, ऐसा करने हेतु बोर्ड को अधिकार देने के लिए विशेष संकल्प लिया जाए।
- नोटिस में वर्णित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन को निदेशक मंडल संस्तुत करते हैं
- विशेष संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक की संबद्धता या रुचि नहीं है।

## टिप्पणियां

### 1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने के पात्र शेयर धारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

विनियम, 2008 (शेयर और बैठकें) के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियम संख्या 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखित का कोई प्रदाता ऐसी किसी बैठक में स्वयं वोट देने का अधिकारी नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंध रखता है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110 008, असाधारण सामान्य बैठक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात्, दिनांक 10.03.2019 (रविवार) शाम 5.00 बजे बैंक के बंद होने से पूर्व प्रॉक्सी फॉर्म (अनुबंध ए) के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकरण के तहत यह हस्ताक्षरित या उस पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी की एक प्रति है, जो नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा एक सत्यापित कॉपी के रूप में प्रमाणित है, पहले बैंक के पास जमा और करवाएँ।

### 2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य बॉडी कॉरपोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जो कि बैंक का शेयरधारक है, जब तक कि उसके पास संकल्प की प्रति जो उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करती, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित वास्तविक प्रति, जिसे पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110 008, असाधारण सामान्य बैठक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात्, दिनांक 11.03.2019 (सोमवार) शाम 5.00 बजे बैंक के बंद होने से पूर्व लें।

### 3. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची :

बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की सुविधा के लिए, पंजीकरण प्रक्रिया 15.03.2019 को सुबह 9 बजे से, कार्यक्रम स्थल पर शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बैठक आरंभ होने से पूर्व ही उपस्थित रहें।

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, उपस्थिति पर्ची और प्रवेश पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है (अनुबंध-बी 'I')। शेयरधारकों / प्रॉक्सी होल्डर्स / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने हस्ताक्षरों को दिए गए स्थान पर करें और स्थल पर ही दें, उसके पश्चात् ही प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। शेयरधारक के प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा कि मामला हो बताना चाहिए। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि यह नोट करें कि बैठक में प्रवेश सत्यापन / जांच के अधीन होगा, जैसा कि अत्यंत आवश्यक है और उन्हें अपनी पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि के वैध प्रमाण लेकर आने की सलाह दी जाती है। मतदान के लिए बैलेट पेपर प्रवेश पत्र देने के पश्चात् ही जारी किया जाएगा।

### 4. शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ संप्रेषण:

वास्तविक रूप में शेयर यदि हैं तो ऐसे शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन अद्यतन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से निम्नलिखित पते पर संप्रेषण करें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

नोबल हाइट्स, पहला तल. प्लॉट नं. एलएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, , नियर सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

डिमटेरियालाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ईमेल का पता, डाक पता, बैंक विवरण आदि में

अंतरंग परिवर्तन / अपडेट करें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संप्रेषण हो सके।

**5. शेयरधारकों से अनुरोध:**

शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक में लेकर आएँ। वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वार्षिक आम बैठक के स्थल पर प्रदान नहीं की जाएगी।

इसकी सराहना की जाएगी, यदि शेयरधारक अपने प्रश्नों को बैठक से पूर्व ही कंपनी सचिव, पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर सेल, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 को प्रस्तुत करते हैं अथवा complianceofficer@psb.co.in को ईमेल करते हैं।

**6. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार:**

अधिनियम की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के संदर्भ में, बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, उसके अपने शेयर के संबंध में कुल मतदान के अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा आइटम के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। असाधारण आम बैठक में ई-वोट / वोट के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख 08.03.2019 है। ई-मतदान की अवधि 12.03.2019 को सुबह 10.00 बजे से आरंभ होगी और 14.03.2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात शेयरधारक ई-वोट नहीं दे सकते। लॉग-इन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया का विवरण संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट दिया है, वे असाधारण आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि वे मतदान के माध्यम से वोट देते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

**7. शेयर सेल**

शेयरधारकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में एक शेयर सेल की स्थापना की है, शेयरधारक इस सेल में किसी भी सहायता के लिए उल्लेखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव, पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयर सेल, लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008, टेलीफोन: 011-25782926, 25812922, ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

**8. अन्य जानकारी**

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारण, हॉल के अंदर ब्रीफकेस, खाने और अन्य सामानों की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है।

कृते पंजाब एंड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 14.02.2019

(एस. हरिशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**ई-वोटिंग प्रक्रिया**

**पंजाब एंड सिंध बैंक की छठी वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग**

बैंक कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, असाधारण सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

**सदस्यों हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-**

- दिनांक 12.03.2019 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 14.03.2019 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 08.03.2019 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- शेयरधारकों को ई-वोटिंग साइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरधारक पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
- क. सीएसडीएल हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
- ख. एनएसडीएल हेतु – 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
- ग. भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- दर्शायी गई ईमेल को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करें:

|                   | भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पैन               | आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) <ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी /डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।</li> </ul> |
| जन्म-तिथि         | डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियों में दिन/माह / वर्ष रूप में अपनी जन्म-तिथि प्रविष्ट करें।                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लाभांश बैंक विवरण | <ul style="list-style-type: none"> <li>कृपया जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण लॉगइन करने हेतु करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या जैसा कि (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।</li> </ul>                                                                                                                      |

- इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।
- पंजाब एंड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष **हाँ/ नहीं** का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक **हाँ** अथवा **नहीं**, विकल्प का चुनाव करें। **हाँ** का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा **नहीं** का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

- यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।
- वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इसप्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाईल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रायड आधारित मोबाईलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाईल एप को गूगल के प्ले स्टोर से हासिल किया जा सकता है। एप्पल और विंडोज फोन का उपयोग करने वाले एप्पल स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से क्रमशः एप प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाईल पर मतदान करते समय मोबाईल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।
- अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट
- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को [helpdesk.evotingindia@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evotingindia@cdslindia.com) पर ई-मेल कर देना चाहिए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने से समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- सभी खातों की सूची [helpdesk.evotingindia@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evotingindia@cdslindia.com) को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।

(xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री सुचिता कोले , कार्यरत कंपनी सचिव(सीपी नं. 714) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेषक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के तीन दिनों के भीतर अक्षरशः, असाधारण सामान्य बैठक की संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अंकेषक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा;

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को असाधारण सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा;

बैठक की सूचना [www.psbndia.com](http://www.psbndia.com) तथा [www.cdsindia.com](http://www.cdsindia.com) पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत [www.evoting@cdslindia.com](http://www.evoting@cdslindia.com) पर ई-वोटिंग में उपलब्ध है या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) को ई-मेल करें या श्री वेंकटेश्वर फुरतदो , डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 25वां माला, विंग ए मार्टन फ्यूचर एक्स, माफतलाल मिल्स कॉम्पाउण्ड एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (ई) मुम्बई-400013, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इन्टाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011-41410592, 41410593 या [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in) को ई-मेल करें।



**ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਾਲਯ: 21, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲਲੀ – 110008**

**Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008**

**ਫਾਰਮ 'ਬੀ'**

**ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਫਾਰਮ**

**[ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਭਰਾ ਓਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਆ ਜਾਏ]**

ਮੈਂ/ਹਮ-----ਨਿਵਾਸੀ-----  
 -----ਜਿਲਾ-----ਰਾਜਯ-----ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ ਹੈਂ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਹੋਨੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਏਤਦੁਆਰਾ  
 ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ -----ਨਿਵਾਸੀ-----  
 -----ਜਿਲਾ-----, ਰਾਜਯ-----ਕੋ ਅਥਵਾ ਉਨਕੇ ਉਪਸਥਿਤ ਨ ਹੋ ਸਕਨੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ/ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ  
 -----ਨਿਵਾਸੀ-----  
 -----ਜਿਲਾ-----ਰਾਜਯ-----ਕੋ ਸੋਮਵਾਰ, ਦਿਨਾਂਕ 15 ਮਾਰਚ 2019 ਕੋ ਪ੍ਰਾਤ: 10.00 ਬਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨਯ  
 ਬੈਠਕ ਮੇਂ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਾਲੇਜ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਸ਼ੇਤ੍ਰ, ਪਲਾਟ ਸੰਖਯਾ-3 ਸੇਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿਲਲੀ-110085 ਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਗੀ ਤਥਾ ਇਸਕੇ ਅਧਿਸਥਿਗਨ ਹੋਨੇ  
 ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਂ ਮੇਰੀ/ਹਮਾਰੀ ਓਰ ਸੇ ਮੇਰੇ/ ਹਮਾਰੇ ਲਿਏ ਮਤ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ/ਕਰਤੇ ਹੈਂ।-----ਮਾਹ ਦੇ-----ਦਿਨ 2019 ਕੋ ਹਸਤਾਖਰਿਤ  
 ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਫੋਲਿਯੋ ਨ./ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਾ ਆਈਡੀ.ਨ.ਸ਼ੇਅਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਯਾ

ਕ੍ਰਪਯਾ ਰਸੀਦੀ  
ਟਿਕਟ ਲਗਾਏਂ

ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਾਮ:

ਪਤਾ:

ਏਕਲ/ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਾਮ:

ਪਤਾ :

**ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਫਾਰਮ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਏਵੰ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਦੇਸ਼**

**1.** ਕੋਈ ਭੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਪ੍ਰਲੇਖ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜਬ ਤਕ ਕਿ:

ਕ) ਵਧਿਕਤ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ, ਯਹ ਉਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾ ਉਸਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੋਗਾ ਤਥਾ ਜਿਸੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵਿਧਿਵਤ ਪ੍ਰਾਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ।

ਖ) ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਯਹ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਯਾ ਉਸਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੋਗਾ ਤਥਾ ਜਿਸੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਮੇਂ ਵਿਧਿਵਤ ਪ੍ਰਾਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ।

ਗ) ਨਿਗਮਿਤ ਨਿਕਾਯ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਉਸਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ ਯਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਧਿਵਤ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਮੇਂ ਹੋਨੀ ਚਾਹਿਏ।

**2.** ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਪ੍ਰਲੇਖ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੋਗਾ ਜੋਕਿ ਕਿਸੀ ਕਾਰਣ ਸੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਯਦਿ ਉਸ ਪਰ ਇਸਕਾ ਚਿਹਨ ਹੈ ਤਥਾ ਨਯਾਧੀਸ਼, ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਯਾ ਉਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਯਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਪਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।

**3. ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਦੇ ਸਾਥ:**

ਕ) ਅਟਾਰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾ ਅਨਯ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ (ਯਦਿ ਕੋਈ ਹੈ ਤੋ) ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ ਯਾ

ਖ) ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਯਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ **ਪ੍ਰਤਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਰਜਾਲਯ ਸ਼ੇਅਰ ਕਸ਼, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ, 21-ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲਲੀ-110008** ਕੋ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨਯ ਬੈਠਕ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਸੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਲੇ ਅਰਥਾਤ੍ **ਰਵਿਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ 2019 (5.00 ਬਜੇ ਸਾਧਕਾਲ) ਕੋ ਕਾਰਯਸਮਯ ਸਮਾਪਤ ਹੋਨੇ ਸੇ ਪੂਰਵ ਯਾ ਉਸ ਤਿਥਿ ਕੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ।**

**4.** ਯਦਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਮੇਂ ਯਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਤਰਣ ਏਜੇਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹਲੇ ਸੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੋ ਅਟਾਰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਖਯਾ ਤਥਾ ਉਸਕੀ ਤਿਥਿ ਕਾ ਉਲੇਖ ਕੀਆ ਜਾਏ।

**5.** ਯਦਿ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਪ੍ਰਲੇਖ ਫਾਰਮ "B" ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਥਾ ਵਿਧਿਵਤ ਸਟਾਮਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ ਜਾਏਗਾ।

**6.** ਬੈਂਕ ਮੇਂ ਜਮਾ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਪ੍ਰਲੇਖ ਅਪ੍ਰਤਿਸੰਹਰਣੀਯ ਤਥਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਗਾ।

**7.** ਯਦਿ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਪ੍ਰਲੇਖ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਦੋ ਵਧਿਕਤੀਯੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ ਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਏਕ ਸੇ ਅਧਿਕ ਫਾਰਮ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ।

**8.** ਜਿਸ ਸ਼ੇਅਰਦਾਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਪ੍ਰਲੇਖ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕੀਆ ਹੈ ਉਸੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨਯ ਬੈਠਕ ਮੇਂ ਵੋਟ ਦੇਨੇ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜਿਸਸੇ ਵਹ ਪ੍ਰਲੇਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

**9.** ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੀ ਕਾਰਮਿਕ ਯਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ ਯਾ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ।

**ਉਪਸਥਿਤੀ ਪੱਚੀ**  
**ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਬੈਠਕ**  
**ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਾਲੇਜ,**  
**ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-3 ਸੈਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿੱਲੀ-110085**

**ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2019 ਪ੍ਰਾਤ: 10.30 ਬਜੇ**

[ਕ੍ਰਿਪਯਾ ਉਪਸਥਿਤੀ ਪੱਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸੇ ਭਰ ਦੇਂ ਏਵੰ ਬੈਠਕ ਹਾਲ ਨੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਾਊਂਟਰ ਪਰ ਉਸੇ ਸੌਂਪ ਦੇ]

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| ਡੀਪੀ ਆਈਡੀ ਏਵੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਡੀ/ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਫੋਲਿਯੋ        |  |
| ਸ਼ੇਯਰਧਾਰਕ ਕਾ ਨਾਮ                                  |  |
| ਸ਼ੇਯਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਯਾ                                  |  |
| ਸ਼ੇਯਰਧਾਰਕ/ਪ੍ਰਾਕਸੀ/ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ<br>ਕੇ ਹਸਤਾਖਰ |  |

**ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਸ**  
**ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਬੈਠਕ**  
**ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਕਾਲੇਜ,**  
**ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ-3 ਸੈਕਟਰ 3, ਰੋਹਿਣੀ, ਦਿੱਲੀ-110085**

**ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2019 ਪ੍ਰਾਤ: 10.30 ਬਜੇ**

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| ਡੀਪੀ ਆਈਡੀ ਏਵੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਈਡੀ/ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਫੋਲਿਯੋ        |  |
| ਸ਼ੇਯਰਧਾਰਕ ਕਾ ਨਾਮ                                  |  |
| ਸ਼ੇਯਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਯਾ                                  |  |
| ਸ਼ੇਯਰਧਾਰਕ/ਪ੍ਰਾਕਸੀ/ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ<br>ਕੇ ਹਸਤਾਖਰ |  |

**ਨੋਟ - ਮਤਦਾਨ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਂ ਮਤਪਤਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਸ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਯਾ ਜਾਏਗਾ।**





#### NOTICE

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Friday, the 15<sup>th</sup> March, 2019 at 10.30 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085, to transact the following business:

#### ITEM NO. 1

##### **Issue of Equity Shares to Employees and Whole-Time Directors of the Bank on ESPS basis (Employee Share Purchase Scheme)**

To create, grant, offer, issue and allot up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PSB-ESPS ") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as **Special Resolution (s)**:

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (**"The Act"**), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (**"The Scheme"**) and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (**"The Regulations"**), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**SEBI (LODR)**) as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (**BSE**) and the National Stock Exchange of India Limited (**NSE**) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as **"the Board"** which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank (**"The Employees"**), as may be decided by the Board, aggregating up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PSB-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment thereof."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "PSB-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "PSB-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "PSB-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "PSB-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "PSB-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "PSB-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

#### Item No. 2

##### **Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement**

To seek approval of shareholders to create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of face Value of Rs10/- (Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.500 crore by way of Qualified Institutional Placement, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as **Special Resolution (s)**:

**"RESOLVED THAT** pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (herein referred to as **"the Act"**), Banking Regulation Act, 1949 (herein referred to as **"Banking Act"**), Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (herein referred to as the **"Regulations"**), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (herein referred to as **"SEBI (ICDR) Regulations"**) and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India (**"GOI"**), Reserve Bank of India (**"RBI"**), Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) and / or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), Listing Agreement entered into by the Bank with stock exchanges, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, any approval, consent permissions or sanctions of other concerned authorities and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (herein referred to as **"the Board"** which term shall include any committee constituted by the Board), consent be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not as may be approved by GOI / RBI and as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations for an aggregate amount not exceeding Rs.500 crore (Rupees Five Hundred Crore only) at such time or times, In one or more tranches at such price including premium in such manner and on such terms and conditions as may deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of investors to whom the offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead managers(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Equity shares issued shall rank *pari-passu* with the existing shares of the Bank including dividend."

**"RESOLVED FURTHER THAT** in case of Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of ICDR Regulations:

- the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- The Bank, pursuant to Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations
- The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations"

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission,

brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc, with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to form a committee of Directors to delegate all or any of its powers to a Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer / Executive Director(s) / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters, things and accept any alterations(s) or amendments(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotment of Equity Shares;
- iii. Arranging, the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- iv. Opening such Bank Accounts as may be required for the offering;
- v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
- vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchanges(s) where the equity shares of the Bank are listed.

Place : New Delhi

Date : 14 February , 2019

By order of the Board of Directors

**(S Harisankar)**

Managing Director & CEO

## NOTES:

### 1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

### I. ISSUE OF EQUITY SHARES TO EMPLOYEES ON ESPS BASIS (EMPLOYEE SHARE PURCHASE SCHEME)

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its employees including Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors of the Bank [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014]. The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the Basel III requirements.

In compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank has formulated a Scheme namely Punjab & Sind Bank – Employee Share Purchase Scheme ("PSB-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to applicable laws.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long-term interests of the Bank, and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

The new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari-passu in all respects with the existing Equity Shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to employees (as defined under regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014).

Pursuant to SEBI Circular No CIR/CFD/Policy Cell / 2015 dated 16-06-2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

#### A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer up to 5 (Five) crore new equity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank to all Employees [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014] under PSB-ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, with appropriate premium to be decided at the time of making the offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 51%.

#### B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE ISSUED

Up to 5,00,00,000 (Five Crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Employees [as defined under regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014] under PSB-ESPS.

#### C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN PSB-ESPS

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014].

#### D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not Applicable.

#### E. MAXIMUM PERIOD [SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE] WITHIN WHICH THE OPTION / STOCK APPRECIATION RIGHTS (SARs) / BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

#### F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board/Committee of Board at the time of the offer. The Equity Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be offered at a discount of not more than 25% on the average of the weekly high and low of the Volume Weighted Average Prices (VWAP) of the equity shares as quoted on the stock exchange with highest trading volume during the two weeks preceding the date on which the Committee of Board fixes the Offer / Purchase Price.

Under no circumstances, the equity shares shall be allotted under the ESPS at a price which is lower than the face value of the equity shares i.e. Rs.10 per equity shares.

#### G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board / Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Employees [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014], receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the scheme.

#### H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirement and guidelines.

#### I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Board / Committee. The Bank proposed to issue maximum of 5,00,00,000 (Five Crore) new equity shares in aggregate.

#### J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than equity shares issued to the Employees [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014] under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the employees.

#### K. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

#### L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES ISSUE OF NEW SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Employees [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014].

- M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILISATION, REPAYMENT TERMS ETC:**  
Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Employees [as defined under Regulation 2(1) (f) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014] and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.
- N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S):**  
Not Applicable.
- O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:**  
The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.
- P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs**  
Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.
- Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE**  
In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share (EPS) of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements, if applicable.
- R. LOCK-IN PERIOD:**  
The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.  
The Board of Directors recommends the passing of the proposed Resolution. The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors (s) and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned resolution (s) as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.
- II. Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement**
- To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario and to comply with the Basel-III norms, the Bank needs additional capital immediately.
  - In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and consequent Capital Charge and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.
  - The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares through Qualified Institutional Placement under Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding Rs.500 Crore (Rupees Five Hundred Crore only).
  - As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.
  - It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), etc., would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.
  - The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.
  - The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.  
None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.
- 2. APPOINTMENT OF PROXY:**  
A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.  
No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.  
The Proxy Form (Annexure -'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 10.03.2019 (Sunday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.
- 3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**  
No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.  
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 11.03.2019 (Monday).
- 4. REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**  
In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 15.03.2019, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.  
For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.
- 5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**  
Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:  
**Link Intime India Pvt Ltd.**  
**Unit: Punjab & Sind Bank**  
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,  
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058  
Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591  
Email: delhi@linkintime.co.in  
Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.
- 6. REQUEST TO SHAREHOLDERS:**  
It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.
- 7. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:**  
In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at EGM is 08.03.2019. The e-voting period shall commence on 12.03.2019 from 10.00 a.m. and end on 14.03.2019 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.



The shareholders who have e-voted can participate in the EGM but cannot participate in poll. In case they vote through poll, the same will not be considered.

#### 8. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi. Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department,  
21 Rajendra Place, New Delhi-110008, Telephone: 011-25782926, 25812922, E-mail: [complianceofficer@psb.co.in](mailto:complianceofficer@psb.co.in).

#### 9. OTHER INFORMATION

*Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.*

*Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.*

**By Order of the Board of Directors**

Sh S Harisankar

Managing Director & CEO

Place: New Delhi

Date: 14 February 2019

### E-VOTING

#### **E-Voting for the Extraordinary General Meeting of Punjab & Sind Bank**

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the EGM.

**The instructions for shareholders voting electronically are as under:**

- (i) The voting period begins on 12.03.2019 at 10.00 a.m. and ends on 14.03.2019 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 08.03.2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
  - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

|                       | <b>For Members holding shares in Demat Form and Physical Form</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAN                   | Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> <li>Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.</li> </ul>                           |
| DOB                   | Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dividend Bank Details | Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio. <ul style="list-style-type: none"> <li>Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).</li> </ul> |

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
  - (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
  - (xi) Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
  - (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
  - (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
  - (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
  - (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
  - (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
  - (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
  - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
  - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts should be mailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xix) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.
 

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Suchitta Koley, Practicing Company Secretary (CP No. 714) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Extraordinary General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Extraordinary General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Extraordinary General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at [www.psbindia.com](http://www.psbindia.com) and [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16<sup>th</sup> floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone-41410592, 41410593 or write an email to [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in).



Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008  
{EXTRAORDINARY GENERAL MEETING}: 15.03.2019

Annexure-‘A’

**FORM ‘B’  
PROXY FORM**

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We.....Resident of .....in the district of..... in the State of ..... being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt ..... resident of.....in the district of .....in the State of .....or failing him/her, Shri/Smt ..... resident of ..... in the district of ..... in the State of ..... as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Friday the 15<sup>th</sup> March, 2019** at 10.30 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 and at any adjournment thereof.

Signed this ..... day of ..... 2019

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix  
Revenue  
Stamp

Signature of Proxy

Signature of the sole / first named shareholder

Name:  
Address:\_\_\_\_\_

Name :  
Address:\_\_\_\_\_

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with : (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1<sup>st</sup> Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Sunday, the 10<sup>th</sup> day of March, 2019 (5.00 p.m.)**.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form ‘B’ and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



(Annexure-'B')

**ATTENDANCE SLIP**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
**Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,**  
**Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085**

**FRIDAY, MARCH 15, 2019, 10.30 a.m.**

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

|                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Regd. Folio/ DP & Client ID                                     |  |  |
| Name of the Shareholder                                         |  |  |
| Number of Shares                                                |  |  |
| Signature of Shareholder / Proxy /<br>Authorised Representative |  |  |



**ENTRY PASS**  
**(To be retained throughout the meeting)**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
**Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,**  
**Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085**

**FRIDAY, MARCH 15, 2019, 10.30 a.m.**

|                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Regd. Folio/DP & Client ID                                      |  |  |
| Name of the Shareholder                                         |  |  |
| Number of Shares                                                |  |  |
| Signature of Shareholder / Proxy /<br>Authorised Representative |  |  |

**Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.**